



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)  
Email : [ms-ankleshwar.gj@esic.nic.in](mailto:ms-ankleshwar.gj@esic.nic.in)



क.रा.बी.नि. हॉस्पिटल, अंकलेश्वर,  
प्लॉट नं. H3012, 500 क्वाटर पास,  
अंकलेश्वर, जि. ભરૂચ  
क.रा.बी. निगम अस्पताल, प्लॉट नं. H3012,  
500 क्वाटर के पास, अंकलेश्वर, जौ. भरुच  
ESIC Hospital, Plot No. H3012, Nr. 500  
Quarters, Ankleshwar, Dist. Bharuch  
Website : [www.esic.gov.in](http://www.esic.gov.in)

ई फाइल संख्या: 379687(प्रशासन)

दिनांक: 10-02-2026

## परिपत्र/Circular

**विषय:** गैर-पात्र कर्मचारी क.रा.बी.नि. अस्पताल, अंकलेश्वर में नियमित चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते ।

**Subject:** Non-Entitled Employees Cannot Avail Routine Medical Facilities at ESIC Hospital, Ankleshwar.

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि गैर-पात्र कर्मचारी क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर में नियमित चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अनुमत नहीं हैं।

This is to inform all concerned that non-entitled employees are not permitted to avail routine medical facilities at ESIC Hospital, Ankleshwar.

केवल वे कर्मचारी जो क.रा.बी.नि. योजना के अंतर्गत पात्र एवं आच्छादित हैं नियमों एवं पात्रता मानदंडों के अनुसार, क.रा.बी.नि. अस्पताल से नियमित चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

Only employees who are entitled and covered under the ESIC scheme, as per applicable rules and eligibility criteria, are allowed to avail routine medical treatment from ESIC Hospital.

सभी विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा।

All departments are requested to note and ensure strict compliance with the above instructions. Any deviation will be viewed seriously.

यह परिपत्र चिकित्सा अधीक्षक की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है /This circular is Issued with the approval of Medical Superintendent.

(कुमार कुंजन)

उप निदेशक-प्रशासन

सेवा में / To,

- सूचना पट्ट / Notice board.